


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक: 18 जुलाई, 2019


संख्या: 1/अ0प्र0-1001/2018-सा0प्र0-...9.6.52.../विभागीय पत्रांक-8747 दिनांक 01.07.2019 द्वारा श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0 (2011), कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग, बिहार, पटना को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 08.07.2019 से 02.08.2019 तक आयोजित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. श्री मिश्र की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री रंजन कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (2006), अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.7.19
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1/अ0प्र0-1001/2018-सा0प्र0-...9.6.52.../पटना-15, दिनांक: 18 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना /सभी संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं 6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.7.19
सरकार के अवर सचिव।